वशिष्टि संस्थान योजना

प्रलिम्सि के लयि:

यूजीसी, वश्वि स्तरीय शक्षिण प्रणाली, उच्च शक्षिा, गुणवत्तापूर्ण शक्षिण और अनुसंधान।

मेन्स के लयि:

वशिष्टि संस्थान योजना।

चर्चा में क्यों?

ऐसे कई संस्थान हैं, जनि्हें **वशिष्टि संस्थान (Institution Of Eminence- IoE)** स्टेटस हेतु चुने जाने के बाद भी तीन वर्ष से अधकि समय से IoE स्टेटस नहीं प्रदान कयिा गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ एमनिेंस योजना:

- **परचिय:**
  - केंद्र सरकार ने देश में **20 प्रतष्ठिति शक्षिण संस्थान स्थापति करने हेतु IoE योजना शुरू** की है।
  - वश्वविद्यालय अनुदान आयोग **(University Grants Commission- UGC)** ने वर्ष 2017 में अनवािर्य कयिा कि IoE योजना अधसिूचना के पाँच वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त कर ले।
  - भारत में उच्च शक्षिा संस्थानों को सशक्त बनाने और उन्हें **उच्च गुणवत्ता वाली शक्षिा तक कफिायती पहुँच बढ़ाने के लयि वश्वि स्तरीय शक्षिण प्रणालयिों को लागू करने** में मदद के लए 'वशिष्टि संस्थान' का दर्जा देना शुरू कयिा गया था।
    - इसमें 20 संस्थानों (10 सार्वजनकि और 10 नजिी संस्थानों) ने अनुदान प्राप्त कयिा, और चयनति संस्थानों में से ग्यारह को अप्रैल 2021 में **प्रतष्ठिति संस्थानों का दर्जा प्राप्त हुआ।**
- **उद्देश्य:**
  - **उत्कृष्टता और नवाचार:** ज्ञान के वभिन्नि क्षेत्रों में उत्कृष्टता और नवाचार के लयि उच्च शक्षिा प्रदान करना जसिे स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान डग्रिी स्तरों पर उचति माना जा सकता है।
  - **वशिेषज्ञता:** वश्वविद्यालय शक्षिा प्रणाली के उद्देश्यों में वशिष्टि योगदान देने के लयि वशिेषज्ञता के क्षेत्रों में शामलि होना।
  - **वैश्वकि रेटगि:** समय के साथ वश्वि के शीर्ष सौ संस्थानों को उनके शक्षिण एवं अनुसंधान के लयि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेटगि प्रदान करने का लक्ष्य है।
  - **गुणवत्ता शक्षिण एवं अनुसंधान:** उच्च गुणवत्ता वाले शक्षिण एवं अनुसंधान के लयि तथा ज्ञान की उन्नतिऔर इसके प्रसार के लयि प्रदान करना।
- **मानदंड:**
  - **वैश्वकि/राष्ट्रीय रैंकगि:** केवल वे संस्थान जो कसिी भी वैश्वकि/राष्ट्रीय रैंक (जैसे, **QS, NIRF**) में दखिाई देते हैं, उन्हें वशिष्टि संस्थान योजना (IoE) स्थतिकि लयि अनुशंसति कयिा जाएगा।
    - राष्ट्रीय संस्थागत रैंकगि फ्रेमवर्क (National institutional Ranking Framework- NIRF) में शीर्ष 50।
    - दुनयिा भर में प्रकाशति प्रतष्ठिति रैंकगि में शीर्ष 500, जैसे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनविर्सटिी लसि्ट, क्यूएस।
  - **ग्रीनफील्ड प्रस्ताव:** उपरोक्त मानदंड को पूरा करने के बाद ही यदकिोई स्लॉट खाली रहता है, तो अब तक स्थापति (ग्रीनफील्ड) प्रस्तावों पर वचिार कयिा जाएगा।
    - ग्रीनफील्ड परयिोजना शब्द आमतौर पर बनिा कसिी पूर्व कार्य पर वचिार कयिे कसिी परयिोजना की शुरुआत को संदर्भति करता

है।
- ग्रीनफील्ड संस्थानों को स्थापना और संचालन के लिये 3 वर्ष का समय मिलेगा तथा उसके बाद EEC ऐसे संस्थानों को IoE का दर्जा देने पर विचार करेगा।

- **लाभ:**
    - **स्वायत्तता:** IoE टैग वाले संस्थानों को फीस, पाठ्यक्रम अवधि और शासन संरचनाओं को तय करने के लिये अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी।
    - **अनुदान:** IoE टैग के तहत सार्वजनिक संस्थानों को 1,000 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान मिलेगा, जबकि निजी संस्थानों को योजना के तहत कोई धन नहीं मिलेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/institution-of-eminence-scheme